फा.सं.-12027/02/2017-रा.भा.(का-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

एन.डी.सी.सी.-।। भवन, जय सिंह रोड,

नई दिल्ली-110001,

दिनांक: 20 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय- केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि द्वारा नराकासों से पत्राचार के संबंध में ।

राजभाषा विभाग के संज्ञान में आया है कि कतिपय केंद्र सरकार के कार्यालय आदि संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) के पत्रों का जबाव नहीं देते हैं। नराकास का दायित्व है कि वे अपने सदस्य कार्यालयों में राजभाषा नीति का अनुपालन करवाएं। इसके अतिरिक्त वेबसाइट पर विभिन्न गतिविधियों को अपलोड करने के लिए भी नराकास को सदस्य कार्यालयों से पत्राचार करना पड़ता है। ऐसे में नराकास के पत्रों का उत्तर न देना गंभीर मामला है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार के कार्यालय सुनिश्चित करें कि वे नराकास के साथ पत्राचार का उत्तर देने में कोताही न करें।

संदीप

(संदीप आर्य)

निदेशक (का.)

दूरभाष-011-23438129

प्रतिः-

1. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय आदि।
2. सभी नराकास के अध्यक्ष/सचिव ।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।